न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(मुरारी लाल शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 86/2014
प्रविष्टि दिनांकः– 10.12.2014

1–अंकित पुत्र सत्येन्द्र ब्राहगण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2–सत्येन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राहमण निवासी पेट्रोल पंप मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

..... अपीलाण्ट्स

बनाम

1–दुर्गासहाय पुत्र प्रभूलाल माली निवासी 131–ए महेश नगर टोक फाटक जयपुर हाल केयर ऑफ रामकिशन सैनी ग्राम पोस्ट मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक
2–ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम सभा मोर दिनांक 14.10.2014

उपस्थितः (1) श्री सीताराम विजय, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

निर्णय

दिनांक 27.08.2021

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने रेस्पोडेण्ड सं. 1 की ओर से रास्ता अवरूद्ध को पूर्ववत खुलवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 के आधार पर ग्राम सभा आयोजित कर अपीलांटस के खेतों में बनी ईटों की पक्की दीवार को तोडकर रास्ता चालू किये जाने का निर्णय पारित कया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने निर्णय से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया है। ग्राम पंचायत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विरूद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर को किसी तरह का रास्ता अवरूद्ध का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन है। सरपंच द्वारा पारित निर्णय सेल्फ स्पीकिंग नहीं है। निर्णय मे भूमि के खसरा नम्बरान व रास्ता किस नक्शा मे है तथा कहां तक जाता है स्पष्ट विवरण नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested
1088

Scanned by CamScanner

अपीलांटस की खातेदारी के खेत के मध्य होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जबरन रास्ता बनाकर खेतो को नष्ट करना चाहते है एवं ग्राम पंचायत मोर के सरपंच तथा कुछ व्यक्तियों से मिलकर अपीलान्ट्स को बिना सुने ग्राम सभा में अपीलांट्स के विरूद्व उसके खेतों के मध्य होकर रास्ता दिये जाने का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी के कोई खेत विद्यमान नहीं है, इस कारण उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था फिर भी ग्राम सभा ने दुर्भावनावश अपीलांटस को नुकसान पहुचाने की गरज से उनके विरूद्व निर्णय दिया है जो ग्राम सभा के सदस्यों व ग्राम पंचायत के सरपंच की दुर्भावना को प्रकट करता है। नक्शा शीट में भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा जो दीवार बतायी गई है, वहां से होते हुए रास्ता नहीं रहा है, इस कारण सुखाधिकार का मामला प्रमाणित नहीं होते हुए भी ग्राम सभा ने अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि में स्थित दीवार को तोडने का आदेश देकर जबरन नया रास्ता देने का निर्णय देकर महती भूल की है। अतःसरपंच ग्राम पंचायत मोर पचांयत समिति टोडारायसिंह द्वारा ग्राम सभा मे पारित निर्णय दिनाक 14.10.2014 से अपीलांट्स व्यथित होकर उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स के सूचना के उपरान्त अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट पर अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट्स की अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने रेस्पोडेण्ड सं. 1 की ओर से रास्ता अवरूद्ध को पूर्ववत खुलवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 के आधार पर ग्राम सभा आयोजित कर अपीलांटस के खेतों में बनी ईटों की पक्की दीवार को तोडकर रास्ता चालू किये जाने का निर्णय पारित किया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर द्वारा ग्राम सभा मे पारित निर्णय दिनांक 14.10.2014 विधिविधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने निर्णय से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया है। ग्राम पंचायत का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विरूद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर को किसी तरह का रास्ता अवरूद्ध का निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन है। सरपंच द्वारा पारित निर्णय सेल्फ स्पीकिंग नहीं है। निर्णय मे भूमि के खसरा नम्बरान व रास्ता किस नम्बर मे है तथा कहां तक जाता है स्पष्ट विवरण नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सदैव से ही खसरा नम्बर 28/2853 व खसरा नम्बर 29 के मध्य मेढ पर विद्यमान रास्ते से होकर खसरा नम्बर [illegible] में जाता है जो रास्ता आज भी विद्यमान है जिसे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अलावा [illegible] काश्तकार भी उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

1089

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

व उपभोग में ले रहे है। गत भू–प्रबंध के समय जो शीट बनायी गई थी उसमें भी अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी के खेतों के मध्य होकर कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जब भू–प्रबंध हुआ तो उस समय अपीलांट के खातेदारी के खेतो के मध्य होता हुआ कोई रास्ता नहीं था और ना है तथा इस बावत भू–प्रबंध के दौरान रास्ते के बाबत उज्रदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा इसलिए नहीं की गई थी कि मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा अपीलान्टस द्वारा उपरोक्त बताया गया रास्ता शुरू से विद्यमान है जो आज भी चालू है। अपीलांटस की खातेदारी के खेत के मध्य होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जबरन रास्ता बनाकर खेतो को नष्ट करना चाहते है एवं ग्राम पंचायत मोर के सरपंच तथा कुछ व्यक्तियों से मिलकर अपीलान्ट्स को बिना सुने ग्राम सभा में अपीलांट्स के विरूद्ध उसके खेतों के मध्य होकर रास्ता दिये जाने का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी के कोई खेत विद्यमान नहीं है, इस कारण उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था फिर भी ग्राम सभा ने दुर्भावनावश अपीलांटस को नुकसान पहुचाने की गरज से उनके विरूद्ध निर्णय दिया है जो ग्राम सभा के सदस्यों व ग्राम पंचायत के सरपंच की दुर्भावना को प्रकट करता है।

ग्राम सभा में विकास अधिकारी व अन्य सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं थे जिस कारण ऐसी ग्राम सभा को कानूनन ग्राम सभा नहीं कहा जा सकता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने ऐसा कोई प्रमाण ग्राम सभा में पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होवे कि जो रास्ता ग्राम सभा दिलवा रही है वह भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के पूर्व से लगातार 20 वर्षो से रास्ते के रूप में काम आ रही हो। नक्शा शीट में भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा जो दीवार बतायी गई है, वहां से होते हुए रास्ता नहीं रहा है, इस कारण सुखाधिकार का मामला प्रमाणित नहीं होते हुए भी ग्राम सभा ने अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि में स्थित दीवार को तोडने का आदेश देकर जबरन नया रास्ता देने का निर्णय देकर महती भूल की है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत मोर द्वारा ग्राम सभा मे पारित निर्णय दोषपूर्ण एंव निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। सरपंच ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिंह द्वारा रास्ते मे बनी पक्की दीवार तोडने एंव रास्ता पुनःचालू करवाने का आदेश दिंनाक 14.10.2014 को पारित किया गया है।

सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने रेस्पोडेण्ड सं. 1 की ओर से रास्ता अवरूद्ध को पूर्ववत खुलवाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 पर रास्ते मे बनी पक्की दीवार को तोडने एंव रास्ता पुनःचालू करवाने का आदेश पारित किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है।

सरपंच ग्राम पंचायत मोर ने [illegible] है कि रेस्पोडेण्ट्स को दिनांक 20.09.2014,दिनांक 25.09.2014 व दिनांक [illegible] को नोटिस जारी करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

1090

अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट्स द्वारा रास्ते का अवरोध नही हटाया है और ना ही अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय ग्राम पंचायत मोर मे उपस्थित हुये है।

पत्रावली मे अपीलांट्स को नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है,परन्तु नोटिस की प्रति पत्रावली मे संलग्न नही है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि अपीलांट को जारी नोटिस पर तामिल भी हुई या नही। अभिभाषक अपीलांट्स ने भी अपीलांट की सुनवाई नही करने बाबत अपील मीमो मे आपत्ति की है। उपरोक्त विवेचन से विदित होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिह ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स की सुनवाई नही की है। पक्षकारो को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करना न्याय का प्रथम सिद्वान्त है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार किसी भी पक्ष को सुनवाई का असवर दिये बिना उसके विरूद्व आदेश पारित नही किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.10.2014 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना इसी बिन्दू पर उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत मोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2014 को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिह को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 20.09.2021 को ग्राम पंचायत मोर पंचायत समिति टोडारायसिह के समक्ष समय 10.00 ए.एम.पर उपस्थित हो। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

1091

Scanned by CamScanner